

103755 - महिला का शृंगार प्रदर्शन करना वुजू को अमान्य करने वाली चीज़ों में से नहीं है।

प्रश्न

क्या महिला के अपने शृंगार को प्रदर्शित करने से वुजू अमान्य हो जाता है?

विस्तृत उत्तर

मुसलमान महिला के लिए अनिवार्य है कि वह इस्लामी हिजाब का पालन करे, और अपने शृंगार को गैर-महरम पुरुषों के सामने प्रदर्शित न करे। अल्लाह तआला का फरमान है :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

النور: 31

“...और अपने शृंगार को ज़ाहिर न करें, परंतु अपने पतियों के लिए, या अपने पिताओं, या अपने पतियों के पिताओं, या अपने बेटों, या अपने पतियों के बेटों, या अपने भाइयों, या अपने भतीजों, या अपने भाँजों, या अपनी स्त्रियों के लिए।” (सूरतुन-नूर : 31)

महिलाओं के हिजाब के अनिवार्य होने को इंगित करने वाले प्रमाणों का उल्लेख प्रश्न संख्या : (21134), (21536) और (11774) के उत्तरों किया जा चुका है।

अगर कोई महिला अपने शृंगार को प्रदर्शित करती है और वह वुजू की अवस्था में है, तो उसका वुजू वैध (सही) है और इसके कारण वह अमान्य नहीं होगा। लेकिन उसने अपने शृंगार को प्रदर्शित करके एक हराम (निषिद्ध) काम किया है। वुजू को अमान्य करने वाली चीज़ों का उल्लेख प्रश्न संख्या (14321) के उत्तर में पहले किया जा चुका है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।